

तथ्या- 360 /15-7-03-161 5 1/2003

प्रेमक,

श्रीम प्रकाश गुप्त,
समुदाय सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

श्रीमि,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रतिष्ठित विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 178 अनुभाग

तकक: दिनांक : 21 जून, 2003

विषय:- एमओएफओ एड्रेसी ए-43 सेक्टर-62 नोस्टा को सी0बी0एस0ई0 नईदिल्ली से
संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सद्वर्तित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सौतायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0मा0शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैदिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वाइवलेन्स नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0मा0शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

—2—

ASPAM SCOTTISH SCHOOL

Executive Principal

For Aspam Scottish School

Manager

- 15] संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राज्यीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 16] कर्मचारियों की सेवा शर्तों बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 17] राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18] विद्यालय की रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकों में रखा जायेगा ।
- 19] उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

। विम प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।

प्रोसंड्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, नोयडा ।
- 4- निरीक्षक, आंगत भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- ✓ 5- प्रबंधक, RMO RPO रजिस्ट्री, स-43 सेक्टर-62 नोयडा ।
- 6- गार्ड फ़ाइल ।

आज्ञा है,

। विम प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
प्रथम मण्डल मेरठ।

सेवा में,

सचिव,
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन,
शिक्षा केन्द्र-2, कम्यूनिटी सैन्टर,
प्रीत बिहार, दिल्ली-110301

पत्रांक/मं0स0/मा0शि0/(NOC) अनुभाग/

/2016, दिनांक 16-5-16

विषय :- एम0ए0एफ0 एकाडमी, ए-43, सैक्टर-62 नोएडा (गौतमबुद्धनगर) का नाम परिवर्तन कर
Aspam Scottish School, ए-43, सैक्टर-62 नोएडा (गौतमबुद्धनगर) किये जाने के
सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रबन्धक, एम0ए0एफ0 एकाडमी, ए-43, सैक्टर-62 नोएडा (गौतमबुद्धनगर) के पत्र दिनांक 12-02-2016 द्वारा विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 19-12-2015 में पारित प्रस्ताव एवं अन्य पत्राजात इस कार्यालय को उपलब्ध कराये गये हैं। प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 19-12-2015 में विद्यालय का नाम एम0ए0एफ0 एकाडमी, ए-43, सैक्टर-62 नोएडा (गौतमबुद्धनगर) के स्थान पर एस्पम स्कॉटिस स्कूल, ए-43, सैक्टर-62 नोएडा (गौतमबुद्धनगर) परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। संस्था द्वारा उपरोक्त पत्राजात उपलब्ध कराते हुये विद्यालय का नाम संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है। आयुक्त/अध्यक्ष (मण्डलीय समिति), मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा विद्यालय के नाम परिवर्तन की सहमति दिये जाने एवं विद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव दिनांक 19-12-2015 तथा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर एम0ए0एफ0 एकाडमी, ए-43, सैक्टर-62 नोएडा (गौतमबुद्धनगर) का नाम परिवर्तित कर एस्पम स्कॉटिस स्कूल, ए-43, सैक्टर-62 नोएडा (गौतमबुद्धनगर) किये जाने की सहमति प्रदान करते हुये आपके कार्यालय द्वारा निर्गत विद्यालय की सम्बद्धता/मान्यता पत्रों में विद्यालय का नाम संशोधन करने की संस्तुति प्रदान की जाती है।

संलग्नक-उक्तवत्।

भवदीय

डॉ0(महेन्द्र देव)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पृ0सं0/मं0स0/मा0शि0/(NOC) अनुभाग/ 1532-34 /2016 तद दिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) आयुक्त/अध्यक्ष (मण्डलीय समिति), मेरठ मण्डल, मेरठ।

(2) प्रबन्धक, एम0ए0एफ0 एकाडमी, ए-43, सैक्टर-62 नोएडा (गौतमबुद्धनगर) को इस आशय के साथ प्रेषित यदि आप द्वारा प्रेषित पत्राजातों में कोई तथ्य गोपन/छिपाया हुआ भविष्य में पाया गया तो प्रदान की गयी उक्त संस्तुति शून्य समझी जायेगी।

डॉ0(महेन्द्र देव)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

ASPAM SCOTTISH SCHOOL

Executive Principal

For Aspam Scottish School

Manager

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
प्रथम मण्डल मेरठ।

सेवा में,

सचिव,
सैंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन,
शिक्षा केन्द्र-2, कम्यूनिटी सेंटर,
प्रीत बिल्डिंग, दिल्ली-110301

पत्रांक/मंसो/माओशिओ/(NOC) अनुभाग/

/2017, दिनांक 13-04-17

विषय :- एमओएफओ एकाडमी, ए-43, सैक्टर-62 नोएडा (गौतमबुद्धनगर) का नाम परिवर्तन कर Aspam Scottish School, ए-43, सैक्टर-62 नोएडा (गौतमबुद्धनगर) किये जाने के सम्बन्धी पत्र में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक/मंसो/माओशिओ/(NOC) अनुभाग/1532-34/2016, दिनांक 16-05-2016 के द्वारा विद्यालय का नाम एमओएफओ एकाडमी, ए-43, सैक्टर-62 नोएडा (गौतमबुद्धनगर) परिवर्तन कर Aspam Scottish School, ए-43, सैक्टर-62 नोएडा (गौतमबुद्धनगर) किये जाने की संस्तुति की गयी थी। इस सम्बन्ध में प्रबन्धक, Aspam Scottish School, ए-43, सैक्टर-62 नोएडा (गौतमबुद्धनगर) के पत्र दिनांक 31-01-2017 एवं 06-02-2017 द्वारा विद्यालय को संचालित करने वाली कम्पनी का नाम भी उक्त संदर्भित पत्र में अंकित करने का अनुरोध किया है। संस्था को संचालित करने वाली मातृ संस्था- M/S M.A.F. ACADEMY PRIVATE LIMITED जोकि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय के प्रमाण-पत्र दिनांक 12-03-2012 के द्वारा भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा-25 में पंजीकृत है। उक्त कम्पनी का नाम, कम्पनी कार्य मंत्रालय भारत सरकार, कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के प्रमाण-पत्र संख्या Corporate Identification Number (CIN)/U80211DL2000NPL106840 दिनांक 21-10-2015 के द्वारा M/S M.A.F. ACADEMY PRIVATE LIMITED से परिवर्तित कर ASPAM ACADEMY NOIDA कर दिया गया है। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या-नोएडा/(आईएनएसटीटीओ)/2016/1992 दिनांक 25-01-2016 के द्वारा विद्यालय भूमि-प्लॉट नम्बर ए-43, सैक्टर-62, नोएडा (गौतमबुद्धनगर) में कम्पनी का नाम M/S M.A.F. ACADEMY PRIVATE LIMITED परिवर्तित कर ASPAM ACADEMY NOIDA किया गया है।

इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं आयुक्त/अध्यक्ष (मण्डलीय समिति), मेरठ मण्डल, मेरठ के आदेश दिनांक 11.04.2017 के आधार पर मण्डल कार्यालय के पत्र दिनांक 16-05-2016 में इस सीमा तक संशोधन मान्य किया जाता है कि विद्यालय को संचालित करने वाली मातृ संस्था/कम्पनी-ASPAM ACADEMY NOIDA द्वारा संचालित किये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। संस्था को जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक 21-06-2003 में अंकित प्रतिबन्ध/शर्तें मातृ संस्था-कम्पनी पर यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय

डॉ०(महेन्द्र देव)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पू०सं०/मंसो/माओशिओ/(NOC) अनुभाग/ 438-40

/2017 तद दिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) आयुक्त/अध्यक्ष (मण्डलीय समिति), मेरठ मण्डल, मेरठ।

(2) प्रबन्धक, Aspam Scottish School, ए-43, सैक्टर-62 नोएडा (गौतमबुद्धनगर) को इस आशय के साथ प्रेषित यदि आप द्वारा प्रेषित पत्राजातों में कोई तथ्य गोपन/छिपाया हुआ भविष्य में प्राया गया तो प्रदान की गयी उक्त संस्तुति शून्य समझी जायेगी।

डॉ०(महेन्द्र देव)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

Y:\MY DOC (H-2)\WOC\REG COM\U11 NOC LTR.doc/257

ASPAM SCOTTISH SCHOOL

Executive Principal

For Aspam Scottish School

Manager



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

No. CBSE/Aff./2130625/2017

Date: 21.08.2017

The Manager,
Aspam Scottish School,
A-43, Sector-62, Noida-201 301
Uttar Pradesh.

Sub: Permission for change in School's name - req.

Sir/Madam,

This is with reference to your letters dated 26.09.2016, 16.11.2016 and 17.04.2017 on the subject cited above.

In this connection, I am directed to inform you that the Competent Authority of the Board has considered your request for change in school's name from "M.A.F. ACADEMY" to "ASPAM SCOTTISH SCHOOL" in the light of supporting documents submitted by the school and approved the change in school's name as under:-

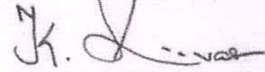
Old Name of the School :- MAF Academy
A-43, Sector-62, Noida-201 301
Uttar Pradesh

New name of the School :- ASPAM SCOTTISH SCHOOL
A-43, Sector-62, Noida-201 301
Uttar Pradesh

On the basis of NOC of State Government, vide letter no. पत्रांक /मं.सं./मा.शि/(NOC) अनुभाग/1532-34 /2016, दिनांक 13.04.2017, the school management running the above school have been changed from M/S M.A.F. Academy Private Limited to Aspam Academy Noida (company under section 25 of the Companies Act 1956).

The above change in school's name is subject to the submission of following documents with condition that the school will not use the old name in any manner and the school should change all the records and letter heads accordingly.

1. The school is required to submit a copy of resolution passed by the society regarding change in school name and school management.
2. The school is required to submit an affidavit duly notarized stating to adhere to the conditions of Affiliation/Examination Bye Laws of the Board and all the administrative matter regarding change of school name, its management etc shall be intimated to CBSE in advance and prior approval shall be sought for any deviation from Affiliation Bye Laws of the Board.
3. The school is required to submit all the safety certificates in the prescribed format and duly approved by the Competent Authority.


DEPUTY SECRETARY (AFF.)

17/8/17

ASPAM SCOTTISH SCHOOL


Executive Principal

For Aspam Scottish School


Manager

"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली - 110092

"Shiksha Kendra", 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi - 110092

फोन / Telephone : +91-11-22528242, 22528257 फैक्स / Fax: 011-22540655 वेबसाइट / Website: www.cbseaffairs.org